THE NATIONAL SMALL INDUSTRIES CORPORATION LIMITED,
(A GOVERNMENT OF INDIA ENTERPRISE)
"N.S.I.C. BHAWAN"
OKHLA INDUSTRIAL ESTATE, NEW DELHI-110020

NSIC
ISO 9001:2008

SIC/HO/RTI/CPIO(27)/2015-16 Dated:27/08/2015

श्री प्रवीण राए,
बी-7, प्रथम तल, विभूति खंड,
गोमती नगर,
लखनऊ

विषय: सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु 1

कृपया अपने आवेदन दिनांक 31/07/2015 (प्राप्ति दिनांक 03/08/2015) का सन्दर्भ ग्रहण करें आपने अपने इस आवेदन मे निम्नलिखित के संबंध में सूचना प्रदान करने का अनुरोध किया है1

(1) आवेदक को राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड द्वारा प्रमाण पत्र संख्या NSIC/GP/KAN/201410008834 जारी किया गया है1

(२) प्रार्थी ने प्राप्त प्रमाण पत्र के आधार पर सर्विस सेक्टर मे कई विभागों में कार्य हेतु आवेदन किया था जिसको संबंधित विभागों ने निरस्त कर दिया 1

(3) अतः आपसे अनुरोध है कि सर्विस सेक्टर में हमारी सहभागिता किस प्रकार से होगी तथा क्या लाभ प्राप्त होंगे, विस्तृत जानकारी प्रदान करने की कृपा करें1

मांगी गई सूचना का उत्तर जैसा कि एन एस आई सी के सम्बंधित विभाग द्वारा प्रदान किया गया है नीचे दिया जा रहा है :-

भारत सरकार, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, नई दिल्ली ने अपने दिनांक 26/03/2012 की राजपत्र अधिसूचना के अंतर्गत अधिसूचित किया है कि "पब्लिक प्रोक्योर्मेंट फॉर माइक्रो एंड स्माल इंटरप्राइजेज (एम एस एम ई) आदेश 2012" (प्रतिलिपि संलग्न) 01 अप्रैल 2012 से प्रभावी है इस उपरोक्त अधिसूचना में यह कहा गया है कि एन एस आई सी के साथ पंजीकृत सूक्ष्म एवं लघु उद्यम इकाईयां निम्न लाभ पाने की पात्र हैं:-

1. टेंडर निःशुल्क मिलते हैं 1

2. बयाना जमा राशि के भुगतान से छूट (ई एम डी)

क्रमशः/2

3. टैंडर में एल – 1 + 15 के मूल्य बैंड में उद्धृत कर करने वाले सूक्ष्म व् लघु उद्यमों को कुल टैंडर वैल्यू का 20% तक आपेक्षित भाग की सप्लाई करने की भी सुविधा रहती है 1 लेकिन उसे अपनी दरें एल – 1 पर रही गैर सूक्ष्म व् लघु उद्यम यूनिट की दर तक कम करने पर ही यह सुविधा मिलती है 1

4. 358 वस्तुऐं सूक्ष्म एवं लघु उद्यम इकाईयों से अनिवार्य रूप से खरीदे जाने के लिए आरक्षित की गई हैं 1

इसके अलावा उपरोक्त आदेश के अनुसार प्रत्येक केंद्रीय मंत्रालय या इसके विभाग अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के लिए जरुरी हो गया है कि वे अपने वार्षिक खरीद के लक्ष्य में कुल वार्षिक खरीद का न्यूनतम 20% तक की खरीद सूक्ष्म एवं लघु उद्यम इकाईयों से ही करें और यह आदेश 01 अप्रैल 2015 से आवश्यक हो गए हैं1 इस आदेश का अहम उद्देश्य सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को प्रोन्नत करना और उनके विकास करने में सहायता करना है ताकि वे और अधिक प्रतिस्पर्धी बन सकें 1

उपरोक्त के आलोक में सम्बंधित यूनिट सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एम एस एम ई) आदेश 2012 की प्रोक्योरमेंट पालिसी के अर्थो में एन एस आई के साथ पंजीकृत सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को चाहिए कि वे अनुमत लाभों के लिए यह मुददा सम्बंधित विभाग को प्रस्तुत करें1

यदि आप हमारे उत्तर से संतुष्ट नही है तो कृप्या निम्नलिखित अपीलीय अधिकारी को इस पत्र की प्राप्ति से 30 दिनों के भीतर अपील कर सकते है:-

पी. उदयाकुमार,
निदेशक (पी एंड एम),
अपीलीय अधिकारी,
राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड ,
"एन एस आई सी भवन" ,
ओखला औद्योगिक क्षेत्र,
नई दिल्ली -110020.

(ऐ. के. मित्तल)
सी पी आई ओ

संलग्न : इति उपरोक्त